रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278095
CG-DL-E-20112026-278095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6059] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2026/कार्तिक 28, 1948
No. 6059] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2026/KARTIKA 28, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2026

का.आ. 6299(अ).— केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 123 (अ) तारीख 8 जनवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के भाग 'आ' में, दूसरी सारणी के पश्चात् और “सीमा विवरण” शीर्षक से पहले, अंक “1610” के स्थान पर अंक “1610.75” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 2 के दूसरे अनुच्छेद में उल्लिखित “फ्यूल, हरियाणा पॉवर जेनेरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (हरियाणा सरकार का एक उपक्रम), सी-7, ऊर्जा भवन, सेक्टर-6, पंचकूला-134109” के स्थान पर “मुख्य अभियंता-खान,

कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड (कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम), संख्या 82, शक्ति भवन, रेस कोर्स मार्ग, बेंगलुरु-560001" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 43015/16/2025-एलएआईआर]
डॉ. गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 123 (अ), तारीख 8 जनवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2026

S.O. 6299(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957(20 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii, vide number S.O. 123 (E), dated the 08th January, 2026, namely:

In the said notification, in the Schedule, in Part B, after the second table and before the heading "Boundary description", for the figure "1610", the figure "1610.75" shall be substituted.

[F. No. 43015/16/2025-LAIR]
DR. GOPAL SINGH, Jt. Secy.

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 123 (E), dated the 08th January, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA